कुलसचिव

Registrar

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर–273009 (उ0प्र0) भारत

Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University,
Gorakhpur-273009 (U.P.) India

पत्रांक 1078/कु0स0का0/2020

दिनांक 14/03/2020

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,
   दी0द0उ0गो0वि0वि0गोरखपुर।

2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/केन्द्राध्यक्ष,
   दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
   गोरखपुर।

विषयः उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों हेतु करोना वाइरस (COVID-19) से बचाव हेतु परामर्श/एडवाजरी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि करोना वाइरस (COVID-19) के फैलाव को रोकने के लिए प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 द्वारा जारी आदेश पत्र संख्या 813/सत्तर–3–2020–08(20)/2020 (संलग्नक) दिनांक 13 मार्च, 2020 में अंकित निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में समस्त संकायाध्यक्षों की बैठक आज दिनांक 14/03/2020 को आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गये–

1. विश्वविद्यालय एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों की **पूर्व निर्धारित परीक्षाएं अपने निर्धारित तिथि एवं समय सारणी के अनुसार अपने पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर यथावत चलती रहेंगी।**
2. विश्वविद्यालय एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों में सभी कक्षाएं दिनांक 22 मार्च, 2020 तक स्थगित रहेंगी।
3. विश्वविद्यालय एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों में नयी/प्रस्तावित परीक्षाएँ अग्रिम आदेश तक स्थगित रहेंगी।
4. परीक्षा कराने से पूर्व कक्षाओं के डोर नॉब, स्विच तथा हैंड रेलिंग तथा मेज अथवा कुर्सी को अल्कोहल युक्त सेनेटाइजर से साफ कराया जाय।
5. बाथरूम को साफ सुथरा रखा जाय तथा साबुन/अल्कोहल बेस्ड सेनेटाइजर तथा जल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
6. कक्षा में टिसू पेपर रखे जाय तथा यूज्ड टिसू पेपर को निस्तारित करने के लिए पेडल बिन वाले प्लास्टिक बैग कक्षाओं में रखे जाय।
7. विश्वविद्यालय एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों की **प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षाएं दिनांक 22 मार्च, 2020 तक स्थगित रहेंगी।**
8. जारी परामर्श/एडवाजरी का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए जागरूकता सम्बन्धी सामाग्री यथा फलेक्सी, बैनर को अपने विभागों/संस्थानों में सहज दृश्य स्थानों में छात्रहित में व्यापक प्रचार प्रसार कराने के साथ ही समस्त सचल दल समन्वयकों एवं परीक्षा नियंत्रक को उक्त निर्देशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें हैं।

संलग्नक–यथोपरि!

भवदीय

for 14/3/2020

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. मीडिया प्रभारी, प्रो0 अजय कुमार शुक्ला, अंगेजी विभाग।
4. प्रबन्धक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
5. सम्पत्ति अधिकारी।
6. प्रभारी, आनलाईन सेल को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त सम्बन्धित महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन पर अपलोड कराने के साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. प्रभारी, सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. समाचार पत्र प्रतिनिधि – आज, दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान, जन संदेश, स्वतंत्र भारत, काम्पैक्ट एवं आई नैक्स्ट को इस आशय से प्रेषित कि उरोक्त परामर्श/एडवाजरी को जनहित में अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

for 14/3/2020

कुलसचिव

Scanned by CamScanner

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या:– 813 / सत्तर–3–2020–08(20) / 2020

प्रेषक,

मोनिका एस गर्ग,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज

2. **कुलपति**
समस्त निजी विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

3. **कुल सचिव**
समस्त राज्य विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

4. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिक**
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2020**

विषयः– राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों हेतु करोना वाइरस(COVID-19) से बचाव हेतु परामर्श / एडवाइजरी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, नई दिल्ली के द्वारा जारी नोवेल करोना वाइरस **(COVID-19)** के एडवाइजरी को दृष्टिगत रखते हुए उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के शासनादेश सं0–806 / सत्तर –3–2020, दिनांक 12 मार्च, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त शासनादेश के साथ संलग्न एडवाइजरी के बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नवत् कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

(1) जिन विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में परीक्षाये चल रही है, वे परीक्षाये यथावत् चलती रहेगी। परन्तु जहाँ परीक्षायें नही चल रही है, वह सारे शिक्षण संस्थायें 22 मार्च, 2020 तक बन्द रहेगें।

(2) परीक्षा कराने से पूर्व कक्षाओं के डोर नॉब, स्विच तथा हैड रेलिंग तथा मेज अथवा कुर्सी को एल्कोहल युक्त सेनेटाइजर से साफ कराया जाय।

(3) बाथरूम को साफ सुथरा रखा जाय तथा साबुन / अल्कोहल बेस्ड सेनेटाइजर तथा जल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(4) कक्षा में टिसू पेपर रखे जाय तथा यूज्ड टिसू पेपर को निस्तारित करने के लिए पेडल बिंन वाले प्लास्टिक बैंग कक्षाओं में रखे जाय।

भवदीया,
13/3
(मोनिका एस गर्ग)
प्रमुख सचिव।

R.O. Rai Sir p.c